



भारतसरकार/GOVT. OF INDIA

राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय/DEPTT. OF REVENUE, MINISTRY OF FINANCE

केन्द्रीय माल एवं सेवाकर आयुक्तालय – उदयपुर

OFFICE OF THE COMMISSIONER, CENTRAL GOODS AND SERVICES TAX – UDAIPUR

जी एस टी भवन, एच ब्लॉक, 100 फीट रोड, सेक्टर-14, उदयपुर-313001(राज.)

GST BHAWAN, H-BLOCK- 100 Ft. Road, Sector-14, Udaipur – 313001 (RAJ.)

Email : hqrstech-cgstudr@gov.in

F.No. GEXCOM/RTI/PN/7/2021-TECH

कार्यालय आदेश

OFFICE ORDER

इस कार्यालय द्वारा जारी सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से, श्री परेश एम. जीवाणी, सहायक आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय – उदयपुर (मुख्यालय) को आयुक्त कार्यालय, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, उदयपुर के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के अनुसार केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO) तथा श्री अरविंद कुमार सिंह, अपर आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय – उदयपुर को अधिनियम की धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (FAA) के रूप में नामित किया गया था।

Vide the Public Notices issued by this office, Shri Paresh M. Jivani, Assistant Commissioner, CGST & Central Excise Commissionerate – Udaipur (Headquarters) was designated as Central Public Information Officers (CPIO) in terms of Section 5(1) of the Right to Information Act, 2005 and Shri Arvind Kumar Singh, Additional Commissioner, CGST & Central Excise Commissionerate – Udaipur was designated as First Appellate Authority (FAA) in terms of Section 19(1) of the Right to Information Act, 2005 in respect of the Office of the Commissioner, CGST & Central Excise, Udaipur.

श्री परेश एम. जीवाणी, सहायक आयुक्त एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO) तथा श्री अरविंद कुमार सिंह, अपर आयुक्त एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (FAA), के अवकाश, प्रशिक्षण अथवा किसी अन्य कारणवश अनुपस्थित रहने की स्थिति में, श्री राकेश जैन, सहायक आयुक्त तथा श्री रोशन लाल, संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, उदयपुर, क्रमशः केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO) एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (FAA) के रूप में आयुक्त कार्यालय, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, उदयपुर से संबंधित मामलों में कार्यभार संभालेंगे।

In the absence of Shri Paresh M. Jivani, Assistant Commissioner & CPIO, and Shri Arvind Kumar Singh, Additional Commissioner & FAA, due to leave, training, or any other reason, Shri Rakesh Jain, Assistant Commissioner, and Shri Roshan Lal, Joint Commissioner, CGST & Central Excise Commissionerate, Udaipur shall function as the CPIO and FAA respectively in respect of the Office of the Commissioner, CGST & Central Excise, Udaipur.

(डी.एस.मीना)

आयुक्त

प्रति निम्नानुसार सभी को सूचनार्थ प्रस्तुत है :-

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर, जयपुर जोन, जयपुर |
2. प्रधान आयुक्त/आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, अलवर/जयपुर/जोधपुर/ऑडिट-जोधपुर/ ऑडिट-जयपुर / जयपुर-अपील्स/ जोधपुर-अपील्स/सीमा शुल्क जयपुर |
3. द वेब मास्टर/अपर आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जयपुर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु |
4. अपर आयुक्त/संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, उदयपुर |
5. उप/सहायक आयुक्त केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर संभाग उदयपुर-उत्तर/पूर्व/दक्षिण/कांकरोली/भीलवाडा-शहर/ग्रामीण/चित्तोड़गढ़/कोटा-शहर/ग्रामीण |
6. सूचना पट्ट
7. गार्ड फाइल

आयुक्त